राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2345/2025

मुकेश बालान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू मंडल, चूरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.03.2025
आदेश की दिनांक : 09.04.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री भवानी सैनी, अभिभाषक
समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद पर महात्मा गांधी, राजकीय विद्यालय, बुधवाली, ब्लॉक रतनगढ़ जिला चूरू में कार्यरत है। प्रत्यार्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2013 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कालानाताल में नियुक्त किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 16.09.2013 (अनुलग्नक–4) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2018 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बम्बू, बीदासर में स्थानान्तरित/पदस्थापित कर दिया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 22.06.2018 (अनुलग्नक–6) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात् कार्यालय आदेश दिनांक 04.10.2023 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अपीलार्थी का चयन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बुधवाली, ब्लॉक रतनगढ़ जिला चूरू में किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–8) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापित स्थान गृह स्थान से लगभग 170 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी की पत्नी किडनी की गम्भीर बीमारी से पीड़ित है, जिसका ईलाज निरन्तर चल रहा है (अनुलग्नक–9)। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी हिन्दी माध्यम का छात्र है, हिन्दी माध्यम से ही हिन्दी साहित्य में एम.ए. उत्तीर्ण किया है तथा हिन्दी साहित्य एन.ई.टी. भी उत्तीर्ण किया है। अपीलार्थी को महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय में कठिनाई का

सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि उनका माध्यम अंग्रेजी है। अपीलार्थी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महलाना, उतरदा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सादुलपुर तथा पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहता, राजगढ़ में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद रिक्त है, में से किसी एक स्थान पर लगाने का निवेदन किया। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 20.02.2025 (अनुलग्नक–2) एवं दिनांक 21.02.2025 (अनुलग्नक–1) को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवास स्थान के पास हिन्दी माध्यम राजकीय विद्यालय स्वतंत्रता सेनानी श्री रामधन श्योराण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नेशल में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I का एक पद रिक्त है, पर लगाये जाने का अनुरोध किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 20.02.2025 (अनुलग्नक–2) एवं 21.02.2025 (अनुलग्नक–1) को स्वीकार किया जावे एवं अपीलार्थी को स्वतंत्रता सेनानी श्री रामधन श्योराण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नेशल, ब्लॉक राजगढ़ जिला चूरू में या अन्य नजदीकी विद्यालय में समस्त पारिणामिक लाभों सहित पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद पर महात्मा गांधी, राजकीय विद्यालय, बुधवाली, ब्लॉक रतनगढ़ जिला चूरू में कार्यरत है। अपीलार्थी का प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया हो, ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक (cause of action) उत्पन्न होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। अतः हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण अपील बिना किसी हेतुक के अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो परिपक्व नहीं (Premature) होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)